अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.157(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मसाला बोर्ड नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मसाला बोर्ड नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 4 में, -

(i) उप नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी;"।

(ii) उप नियम (1) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) ऐसे छह सदस्य जो मसाला कृषकों का प्रतिनिधित्व करेंगे;"।

(iii)उप नियम (1) क में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 6 और 7 में, दोनों स्थानों पर "सचिव" शब्द के स्थान पर "मसाला बोर्ड का निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी" शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियम के नियम 11 के, उप नियम(i) के, उप-खण्ड (घ) में, "सचिव" शब्द के स्थान पर " मसाला बोर्ड का निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 11 में, उप नियम(2) के;

(क) खण्ड (i) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;";

(ख) खण्ड (ii) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;";

(ग) खण्ड (iii) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"बोर्ड के सचिव, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे;";

6. अध्याय 3 के शीर्ष में, "**अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य**" शब्दों के स्थान पर "**अध्यक्ष और सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य**" शब्द रखे जाएंगे ।

7. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14क अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य:

(i) अध्यक्ष बोर्ड का प्रधान होगा;

(ii) अध्यक्ष को बोर्ड के सचिव को छुट्टी प्रदान करने की शक्ति होगी

(iii) अध्यक्ष, बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करेगा; बोर्ड सदस्यों का त्यागपत्र, यदि कोई हो, स्वीकार करेगा और ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो भारत सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

14ख सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य:

सचिव की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और उनके निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे:-

(i) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करना;

(ii) बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के कर्त्तव्य विहित करना और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना जो आवश्यक हों;

(iii) आकस्मिकताओं, प्रदायों और सेवाओं के लिए व्यय मंजूर करना और बोर्ड के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए मंजूरी देना;

(iv) बोर्ड या उसकी किसी समिति से अपेक्षा करने की वह यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के अनुसार में कार्यवाही, ऐसे विनिश्चय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश तक लंबित रहने तक, आस्थागित कर देना;

(v) ऐसे विषयों की बाबत् विनिश्चय करना जिसकी, यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को बोर्ड के समक्ष उसके आगामी अधिवेशन में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार या बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना:

परंतु सचिव द्वारा किए गए विनिश्चय को बोर्ड उपांतरित या प्रतिवर्तित कर देता है, तो ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन, ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन के पूर्व की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फ़ा. सं. 5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 115(अ) तारीख 26 फ़रवरी 1987 के अधीन प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 636(अ) तारीख 10 सितंबर 2002 के अधीन अंतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 157(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Board Rules, 1987, namely:-

1. (i) These rules may be called the Spices Board (Amendment) Rules 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,-

(i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) a Chairman shall be appointed by the Central Government ;".

(ii) in sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) six members to represent growers of spices;".

(iii) in sub-rule (1) A, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

3. In rules 6 and 7 of the said rules, for the word "Secretary", the words "Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board" shall be substituted in both the places.

4. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (i), in sub-clause (e), for the word "Secretary", the words "Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board" shall be substituted;

5. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2);

(a) in clause (i), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;";

(b) in clause (ii), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;";

(c) in clause (iii), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be

substituted, namely:-

"The Secretary of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;";

6. In Chapter III, in the heading, for the words "POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN", the words "POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN AND SECRETARY" shall be substituted.

7. For rule 14, the following rules shall be substituted, namely:-

"14A Powers and duties of the Chairman:

(i) the Chairman shall be the head of the Board;

(ii) the Chairman shall have power to grant leave to Secretary of the Board;

(iii) the Chairman shall preside over the meetings of the Board; accept resignations, if any, of the Board members and he shall also exercise such other powers as may be specified by the Government of India.

14B Powers and duties of the Secretary:

The Secretary shall have the following powers and duties :-

(i) to grant leave to officers and employees of the Board;

(ii) to prescribe duties of all officers and staff of the Board and exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary;

(iii) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board;

(iv) to require the Board or any Committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board or the committee as the case may be pending a reference to the Central Government on such decision;

(v) to take decision in respect of matters that cannot wait disposal by the Board or a Committee, as the case may be. The action taken by the Secretary shall be put up to the Board for post facto approval at its next meeting;

(vi) to perform such duties as may be delegated to him by the Central Government or the Board or Chairman in accordance with provisions of the Act:

Provided that where the Board modifies or reverses the decision taken by the Secretary, such modification or reversion shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or reversion.".

[F. No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number GSR 115(E) dated the 26th February, 1987 and last amended *vide* number G.S.R. 636(E), dated the 10th September 2002.